



महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273306

पत्रांक— महा0गु0गो0आ0वि0गो0 / 2025-26 / 623

दिनांक:- 26/08/25

विश्वविद्यालय में संविदा पर सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) के नियुक्ति हेतु उपलब्ध पद एवं शर्तें

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. विभाग—आपातकालीन सेवा | 2. पदों की संख्या— 01 पद |
| 3. पद— सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) | 4. वेतन—85000 (नियत वेतन) |

आवेदन भरे जाने की तिथि दिनांक 27.08.2025 से 10.09.2025 तक

संविदा नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

- आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 10.09.2025 तक आवेदन फार्म अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन फार्म विश्वविद्यालय के बेबसाइट mggaugkp.ac.in से ऑनलाइन में भरे जायेंगे।
- आवेदन कर्ता सम्बन्धित विषय में स्नातक (एम0बी0बी0एस एवं इंटरनशिप प्रमाणपत्र) उपाधि धारक होना चाहिये।
- आवेदन फार्म के स्कूटनी के उपरान्त ई—मेल के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू के लिये सूचित किया जायेगा तथा वॉक इन इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को अपने समस्त अभिलेखों को मूल रूप में लेकर उपस्थित होना होगा।
- ऐसे सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) की सेवाएं उक्त निर्धारित समय के अन्तर्गत ही सामान्यतः 06 माह होगी किन्तु सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर तीन दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त की जा सकेगी। छः माह की संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा—काल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) से चिकित्सालय एवं विश्वविद्यालय का कार्य लिया जायेगा।
- चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा पर कार्यरत माना जायेगा।
- चयनित सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) के लिए आवश्यक होगा कि वह करार होने के 07 दिन के भीतर विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। कार्यभार ग्रहण की सूचना कुलसचिव के द्वारा मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष मा0 कार्य परिषद को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
- संविदा पर नियुक्त सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) की संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन तथा निःशुल्क आवास सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा, न ही कोई बोनस देय होगा।
- संविदा पर नियुक्त सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) विश्वविद्यालय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे। अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए। संविदा पर कार्यरत सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण या स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा अनुमन्य होगी।
- यदि कोई संविदा सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कार्य से 20 दिन से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- नियुक्त सीनीयर रेजिडेंट (एलोपैथ) को एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन पर करना होगा।


Vice-Chancellor
Mahayogi Guru Gorakhnath
Ayush University
Gorakhpur



महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय

गोरखपुर-273306

विश्वविद्यालय में संविदा पर कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता के नियुक्ति हेतु उपलब्ध विषय, पद व वेतन

1. विभाग/विषय-कौमार भृत्य, स्त्री रोग प्रसूति तंत्र, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, शालाक्य तंत्र (नेत्र), शालाक्य तंत्र (कर्ण, नासा एवं मुखरोग), रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, द्रव्यगुण विज्ञान, आयुर्वेद संहिता और सिद्धान्त, रचना शारीर, क्रिया शारीर, स्वस्थवृत्त एवं योग
2. पदनाम-कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता
3. पदों की संख्या-प्रत्येक विषय में 01 पद
4. वेतन-56100+डी0ए0 (नियत वेतन)

संविदा नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

आवेदन भरे जाने की तिथि-दिनांक-11.08.2025 से 25.08.2025 तक

1. आवेदन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट-**mggaugkp.ac.in** पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन फार्म में भरे जाने वाले विवरण स्पष्ट एवं कैपिटल लेटर में भरे जायेंगे। स्वयं की फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर आवेदन फार्म में अपलोड करना होगा।
2. आवेदन कर्ता सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर (एम0डी0 (आयु0)/एम0एस0(आयु0)) उपाधि धारक होना चाहिए।
3. आवेदन फार्म के स्कूटी के उपरान्त ई-मेल के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू के लिये सूचित किया जायेगा तथा वॉक इन इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को अपने समस्त अभिलेखों को मूल रूप में लेकर उपस्थित होना होगा।
4. ऐसे कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता की सेवाएं उक्त निर्धारित आयु के अन्तर्गत ही सामान्यतः 06 माह होगी किन्तु सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर तीन दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित विषयों में शिक्षक की अस्थायी/स्थायी नियुक्ति की जाने की स्थिति में संविदा कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता को हटाया जा सकेगा। 06 माह की संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा काल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
5. संविदा पर नियुक्त कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता से चिकित्सालय एवं विश्वविद्यालय का कार्य लिया जायेगा।
6. चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ रु0 100.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा पर कार्यरत् माना जायेगा।
8. चयनित कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता के लिए आवश्यक होगा कि वह करार होने के 07 दिन के भीतर विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। कार्यभार ग्रहण की सूचना कुलसचिव के द्वारा मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष मा0 कार्य परिषद को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
9. संविदा पर नियुक्त कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता की संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन तथा निःशुल्क आवास सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा, न ही कोई बोनस देय होगा।

10. संविदा पर नियुक्त कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता विश्वविद्यालयीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे। ऐसे शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए। संविदा पर कार्यरत कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण या स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा अनुमन्य होगी।
11. यदि कोई संविदा कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कार्य से 01 सप्ताह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
12. प्रथमतया प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षक संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे, यदि सेवा निवृत्त शिक्षकों के अनुपलब्धता की स्थिति में सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को नियुक्त किया जायेगा किन्तु इन कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। राजकीय महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों के संविदा की अवधि में इनकी परिलब्धियां आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुए निर्धारित की जायेगी।
13. नियुक्त कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता को एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन पर करना होगा।

Approved


8/08/2023
Vice-Chancellor
Maharaja Guru Gorakhnath
Ayush University
Gorakhpur



महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर-273306

विश्वविद्यालय में संविदा पर कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता के नियुक्ति हेतु उपलब्ध पद एवं शर्तें

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. विभाग-अगद तंत्र | 2. पद-कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता |
| 3. पदों की संख्या-01 पद | 4. वेतन-56100+डी0ए0 (नियत वेतन) |
- आवेदन भरे जाने की तिथि-दिनांक-19.07.2025 से 02.08.2025 तक

संविदा नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक-02.08.2025 तक आवेदन फार्म अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन फार्म विश्वविद्यालय के बेबसाइट-**mggaugkp.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन फार्म में भरे जाने वाले विवरण स्पष्ट एवं कैपिटल लेटर में भरे जायेंगे।
2. आवेदन फार्म के स्कूटनी के उपरान्त ई-मेल के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू के लिये सूचित किया जायेगा तथा वॉक इन इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को अपने समस्त अभिलेखों को मूल रूप में लेकर उपस्थित होना होगा।
3. ऐसे कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता की सेवाएं उक्त निर्धारित आयु के अन्तर्गत ही सामान्यतः 06 माह होगी किन्तु सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर तीन दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित विषयों में शिक्षक की अस्थायी/स्थायी नियुक्ति की जाने की स्थिति में संविदा कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता को हटाया जा सकेगा। छः माह की संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा काल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता से चिकित्सालय एवं विश्वविद्यालय का कार्य लिया जायेगा।
5. चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ रु0 100.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा पर कार्यरत् माना जायेगा।
7. चयनित कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता के लिए आवश्यक होगा कि वह करार होने के 07 दिन के भीतर विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। कार्यभार ग्रहण की सूचना कुलसचिव के द्वारा मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष मा0 कार्य परिषद को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संविदा पर नियुक्त कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता की संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन तथा निःशुल्क आवास सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा, न ही कोई बोनस देय होगा।
9. संविदा पर नियुक्त कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता विश्वविद्यालयीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे। ऐसे शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए। संविदा पर कार्यरत् कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण या स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा अनुमन्य होगी।
10. यदि कोई संविदा कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कार्य से 01 सप्ताह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
11. प्रथमतया प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षक संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे, यदि सेवा निवृत्त शिक्षकों के अनुपलब्धता की स्थिति में सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को नियुक्त किया जायेगा किन्तु इन कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। राजकीय महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों के संविदा की अवधि में इनकी परिलब्धियां आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुए निर्धारित की जायेगी।
12. नियुक्त कन्सल्टेन्ट/प्रवक्ता को एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन पर करना होगा।



Mahayogi Guru Gorakhnath AYUSH University

Contractual consultant/Teaching Staff Application Form

Applicant Photograph & Signature

Registration Details

Teacher Code:

Post Name:

Note- If a candidate is not possessing teacher code such candidate should submit a consent in bond paper mentioning that he/she should get pass the required examination whenever it is conducted by concerned Govt. body.

Personal Details

First Name

Middle Name:

Last Name

Date of Birth:

Father's Name:

Gender:

Mother's Name:

Marital Status:

Husband Name:

Nationality:

Category:

Religion:

Domicile:

Local Address

Address:

District:

City:

State:

Pin:

Permanent Address

Address:

District:

City:

State:

Pin:

Other Details:

Service Duration:

Physical handicapped:

Mobile number:

Alternate Mobile Number:

[illegible][illegible]